

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

- 1- निदेशक,
पंचायतीराज, 30प्र0 । समस्त
- 2- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश ।
- 3- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

पंचायतीराज अनुभाग-1

लखनऊ - दिनांक 22 नवम्बर, 2016

विषय: त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों को प्रदत्त मानदेय में वृद्धि किया जाना ।

महोदय,

संविधान के 73वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेंद्रीकरण की मूल भावना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से त्रिस्तरीय पंचायतों को समय-समय पर शक्तियां एवं दायित्व सौंपे गये हैं, जिसके कारण उनके कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पदाधिकारियों के कर्तव्यों एवं दायित्वों में वृद्धि के कारण पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर उनको देय मानदेय तथा अधिकारों में वृद्धि करने का अनुरोध किया जाता रहा है ।

2- उक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्रिस्तरीय पंचायत में ग्राम प्रधानों के कर्तव्यों एवं दायित्वों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित के अनुसार ग्राम प्रधानों के मानदेय एवं अधिकारों में वृद्धि किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (अ) ग्राम प्रधानों का मानदेय ₹0-2500/- (रूपया दो हजार पांच सौ मात्र) से बढ़ाकर ₹0-3500/- (रूपया तीन हजार पांच सौ मात्र) किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
- (ब) मनरेगा के अनुरूप केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत लिये गये निर्णयानुसार ₹0 2.00 लाख (₹0 दो लाख मात्र) तक के कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति का अधिकार ग्राम सभा को तथा वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति पूर्ण रूप से ग्राम सभा की खुली बैठक में लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
- (स) यात्रा एवं आनुसांगिक व्यय के नाम पर खर्च के लिए अनुमन्य ₹0-5000/- (₹0-पांच हजार मात्र) को बढ़ाकर अधिकतम ₹0-15,000/- (₹0 पन्द्रह हजार मात्र) प्रतिवर्ष किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
- (द) ग्राम प्रधानों को आकस्मिक खर्च के रूप में ₹0 1000/- (रूपया एक हजार मात्र) के स्थान पर ₹0 5000/- (रूपया पांच हजार मात्र) अपने पास रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

3- उक्त प्रस्तर-2 के अनुसार प्रस्तावित वृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि उक्त मदों पर व्यय होने वाली धनराशि ग्राम पंचायतों, अपनी ग्राम निधि में जमा धनराशि जिसमें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि भी सम्मिलित है, में से वहन किया जायेगा तथा इसके लिये पृथक से कोई बजट आवंटित नहीं किया जायेगा।

4- उक्त प्रस्तर-2 एवं 3 के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त आदेशों/शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए ।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव ।

संख्या- 3038(1)/33-1-2016-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- महालेखाकार, 30प्र0, इलाहाबाद ।
- 2-स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, 30प्र0 शासन ।
- 3-प्रमुख सचिव, वित्त/ग्राम्य विकास/बेसिक शिक्षा/राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन ।
- 4-आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, 30प्र0, लखनऊ ।
- 5-निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पंचायतीराज विभाग, 30प्र0 शासन ।
- 6-सलाहकार, पंचायतीराज विभाग, 30प्र0 शासन ।
- 7-समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0), उत्तर प्रदेश ।
- 8-समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 9-गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
अनु सचिव ।